



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26271

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1734/2026

राजेंद्र कुमार यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: कृष्ण मणि

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण मणि गुप्ता और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार का मुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 12.12.1991 को चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था और रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, एक दुर्गा प्रसाद पांडेय को 15.05.1998 को चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें सहायक कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रोन्नत किया गया था और वे 31.12.2024 को सेवानिवृत्त हुए। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, श्री दुर्गा प्रसाद पांडेय द्वारा धारित पद रिक्त है और वरिष्ठता सूची में रिट याचिकाकर्ता का नाम आता है, जिसके आधार पर उनकी प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकता है।
3. वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना रिट याचिकाकर्ता को सहायक कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रोन्नत करने हेतु है।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना आवश्यक है।
5. अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है, जो उक्त आवेदन पर उपयुक्तता, पात्रता, वरिष्ठता की स्थिति और रिक्ति आदि को ध्यान में रखते हुए, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेंगे। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 यह पाते हैं कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो रिट याचिकाकर्ता को उचित सूचना देने के पश्चात दस्तावेज उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"